संख्या:57/2021/1949जेएल/22-3-2021-800(18)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
चन्दौली ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 29 अक्टूबर, 2021*

विषय- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द मिश्र पुत्र स्व0 सूरज मिश्रा, निवासी-ग्राम-बसरतिया, थाना-अलीनगर, जनपद-चन्दौली को मकान मरम्मत हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-1402/जि0प्रो0का0/पैरोल/2021-22, दिनांक 26-10-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द मिश्र पुत्र स्व0 सूरज मिश्रा, निवासी-ग्राम-बसरतिया, थाना-अलीनगर, जनपद-चन्दौली को शासनादेश संख्या-48/2021/1043जेएल/22-3-2021-800(18)/2021, दिनांक 20-09-2021 के क्रम में एक **माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:57/2021/1949जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।